विद्युत लोकपाल
मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, "मेट्रो प्लाज़ा", बिट्टन मार्केट, अरेरा कालोनी, भोपाल

प्रकरण क्रमांक L00-12/14

मेसर्स रामनिक पॉवर एण्ड एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड, — **आवेदक**
द्वारा मेसर्स ए.पी. त्रिवेदी सन्स,
मेन रोड, बालाघाट (म.प्र.)
पिन कोड – 481001

विरूद्ध

प्रबंध संचालक, — **अनावेदक**
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड,
रामपुर, जबलपुर (म.प्र.) – 482008

आदेश
(दिनांक 01.10.2014 को पारित)

1. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, जबलपुर (जिसे आगे फोरम के नाम से संबोधित किया गया है) के शिकायत प्रकरण क्रमांक 349/2013 मेसर्स रामनिक पॉवर विरूद्ध मुख्य यंत्री (कामर्शियल) तथा अन्य 3 में पारित आदेश दिनांक 03.03.2014 से असंतुष्ठ होकर आवेदक/उपभोक्ता की ओर से यह अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है ।

2. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि आवेदक जो कि विद्युत उपभोक्ता है, ने विद्युत वितरण के लिये उत्तरदायी अनुज्ञप्तिधारी जिसके प्रतिनिधि अनावेदकगण हैं, से विद्युत का उपभोग करने की अनुमति प्राप्त की थी, उसके परिसर में विद्युत की संविदा मांग 4800 थी, जिसे 600 केवीए किए जाने का आवेदन उपभोक्ता ने 30 मई, 2013 को प्रस्तुत किया था । उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र के आधार पर अनावेदकगण ने पत्र क्रमांक 3867 जबलपुर दिनांक 08.09.2013 के द्वारा उपभोक्ता को सूचित किया था कि उसके आवेदन के आधार पर उसकी संविदा मांग दिनांक 01.07.2013 से 4800 केवीए के स्थान पर 600 केवीए की गई हैं, अतः वह पत्र प्राप्त होने की दिनांक से एक माह के अन्दर पूरक अनुबंध निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें । उभयपक्ष के मध्य दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया था । जुलाई एवं अगस्त माह में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत के देयक में पैनल बिलिंग नहीं की गई थी, यद्यपि उक्त दोनों महीनों में उपभोक्ता की संविदा मांग 600 केवीए से

अधिक थी । सितम्बर 2013 में उपभोक्ता द्वारा उपभोग की गई विद्युत का देयक अक्टूबर माह में जारी किया गया था, जिसमें उसकी संविदा मांग 600 केवीए से अधिक पाए जाने के आधार पर पैनल बिलिंग की गई थी ।

3. सितम्बर, 2013 तथा उसके आगे आने वाले महीनों में संविदा मांग 600 केवीए से अधिक पाए जाने पर उपभोक्ता को जारी किए गए देयक जिनमें पैनल बिलिंग की गई थी, के संबंध में उपभोक्ता ने विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के समक्ष इस आशय की शिकायत की थी कि दिनांक 01.07.2013 से संविदा मांग में कमी किए जाने की सूचना उसे 8 अगस्त, 2013 के पत्र के द्वारा दी गई थी, ऐसी स्थिति में भूतलक्ष्यी प्रभाव से संविदा मांग में कमी नहीं की जा सकती है । इसके अतिरिक्त 8 अगस्त, 2013 में जारी पत्र में पूरक अनुबंध किए जाने का निर्देश दिया गया था । पूरक अनुबंध निष्पादित होने तथा उसकी सूचना उपभोक्ता को दिए जाने के बाद ही संविदा मांग में कमी किया जाना था । पूरक अनुबंध 16 सितम्बर, 2013 को किया गया था, परन्तु इसको अन्तिम रूप दिए जाने की सूचना उपभोक्ता को नहीं दी गई थी, ऐसी स्थिति में संविदा मांग में कमी किए जाने की जानकारी उपभोक्ता को नहीं थी, अतः सितम्बर 2013 से उसे जो पैनल बिलिंग की गई है वह गलत है । इसके अतिरिक्त उसकी संविदा मांग यद्यपि 600 केवीए मानकर पैनल बिलिंग की गई है, परन्तु सुरक्षा निधि की संगणना 4800 केवीए के आधार पर की गई है, जबकि उसकी संगणना 600 केवीए के आधार पर किया जाना चाहिए था । अतः अनावेदकगण की ओर से जारी पैनल बिलिंग को निरस्त किया जाए और उसकी सुरक्षा निधि 600 केवीए के आधार पर संगणित किए जाने का निर्देश दिया जावे ।

4. फोरम के समक्ष अनावेदकगण की ओर से इस आशय का जवाब प्रस्तुत किया गया था कि 8 अगस्त, 2013 के पत्र के द्वारा उपभोक्ता को उसकी संविदा मांग 01.07.2013 से कम किए जाने की जानकारी दे दी गई थी । दिनांक 16 सितम्बर 2013 को उभयपक्ष के मध्य जो पूरक अनुबंध निष्पादित हुआ था उसमें भी संविदा मांग 01.07.2013 से कम किए जाने की सहमति उभयपक्ष ने व्यक्त की थी, अतः उपभोक्ता को इस बात की जानकारी थी कि दिनांक 01.07.2013 से उसकी संविदा मांग 600 केवीए है । उपभोक्ता ने 600 केवीए से अधिक भार का उपयोग किया था, अतः नियमानुसार उसे जो पैनल बिलिंग की गई है, वह उचित है । इसके अतिरिक्त सुरक्षा निधि की जो संगणना की गई है वह भी उचित है, क्योंकि उपभोक्ता द्वारा 600 केवीए से अधिक भार का उपयोग उक्त विवादित माहों में किया गया था ।

5. फोरम ने यह निष्कर्ष दिया है कि दिनांक 01.07.2013 से संविदा मांग में कमी किए जाने की जानकारी उपभोक्ता को थी और उसकी संविदा मांग में कमी नियमानुसार 01.07.2013 से की गई थी । उपभोक्ता ने संविदा मांग में कमी किए जाने के बाद भी संविदा मांग से अधिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग

किया था, अतः उससे नियमानुसार पैनल बिलिंग की गई है जिसे अदा करने के लिए उपभोक्ता उत्तरदाई है । इसके अतिरिक्त उपभोक्ता से पैनल बिलिंग सितम्बर माह से की गई है, जबकि पैनल बिलिंग जुलाई, 2013 से की जानी चाहिए, अतः अनावेदकगण को जुलाई महीनें से पैनल बिलिंग किए जाने का निर्देश दिया गया ।

6. विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम के उक्त आदेश से व्यथित होकर उपभोक्ता ने यह अभ्यावेदन मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत किया है कि दिनांक 01.07.2013 से संविदा मांग में कमी किए जाने का जो निष्कर्ष फोरम ने दिया है वह विधि के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है । इसके अतिरिक्त फोरम ने जुलाई एवं अगस्त महीनें की बिलिंग किए जाने का जो निष्कर्ष दिया है वह अधिकार–विहीन है । अतः फोरम के आदेश को अपास्त करते हुए पैनल बिलिंग को निरस्त किए जाने और सुरक्षा निधि की संगणना 600 केवीए के आधार पर किए जाने का अनुरोध उपभोक्ता के द्वारा किया गया है ।

7. **विचारणीय प्रश्न यह है कि :–** उपभोक्ता की आवेदन के आधार पर संविदा मांग में कमी किया जाना किस तिथि से प्रभावशील होना माना जाएगा ?

कारणों सहित आदेश इस प्रकार है ।

8. विद्युत उपभोक्ता तथा विद्युत वितरण कम्पनी के मध्य विद्युत के उपयोग की दण्डात्मक बिलिंग तथा सुरक्षा निधि की संगणना के संबंध में जो विवाद है उस पर विचार करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में जो नियम बनाए गए हैं उनका अवलोकन किया जाना उचित होगा । मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अध्याय – 7 में संविदा मांग अनुबंध तथा सुरक्षा निधि संबंधी प्रावधान किए गए हैं । इस मामले में उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी के मध्य विवाद संविदा मांग में कमी किए जाने से संबंधित है । संविदा मांग में कमी हेतु प्रक्रियां अध्याय – 7 की धारा 7.9 से 7.14 में निर्धारित की गई है । धारा 7.9 से धारा 7.12 में जो प्रावधान किए गए हैं वह प्रावधान मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता (सत्रहवां संशोधन) (क्रमांक AG - 1 (XVII)) वर्ष 2010 द्वारा 25 जून, 2010 से प्रतिस्थापित किए गए हैं । यह प्रावधान मध्यप्रदेश राजपत्र भाग – 4 (ग) दिनांक 25 जून, 2010 को प्रकाशित किए हैं । आशय यह है कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के धारा 7.9 लगायत 7.12 के जो प्रावधान उद्धृत किए जा रहे हैं वह 25 जून, 2010 से प्रभावशील हैं । उपभोक्ता ने संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन 30 मई, 2013 को प्रस्तुत किया था, अतः मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के यही प्रावधान उसके संबंध में लागू होंगे । प्रावधान इस प्रकार है :–

"Procedure for Reduction of Contract Demand

7.9 No application for reduction of Contract Demand shall be entertained within the period of first two years from the date of contract.

7.10 Applications for reduction of load, after the expiry of initial period of agreement, upto the limit specified in clause 7.12shall be filed in duplicate to the Licensee in the prescribed form along with the following documents:

(a) Details of alteration/ modification/ removal of the electrical installation with work completion certificate and Test report from a Licensed Electrical contractor where alteration of installation is involved.

(b) Any other reason for reduction of contract demand.

(c) Details of generators, if any, installed by the consumer along with copies of the safety clearance certificate issued by the competent authority for installation of the generators.

7.11 On receipt of the application for reduction of load, the licensee shall take the following steps:

(a) The licensee shall consider the grounds stated in the application, verify the same and decide the application within a period of 60 days by a reasoned speaking order. An appeal can be made to the Electricity Ombudsman if the consumer is not satisfied with the decision of the licensee and his decision shall be final subject to such remedy as may be available under any statute.

(b) If the application is not decided by the licensee within the above-mentioned period of 60 days, the applicant may, by a written notice to the licensee, draw its attention to the matter and if no decision is still communicated to him within the period of further 30 days, the permission of reduction of contract demand shall be deemed to have been granted.

(c) The reduction of Contract Demand shall take effect from the first day of the month following the month in which the decision is communicated or 'deemed permission is granted'.

7.12 After the expiry of the initial period of agreement the consumer may apply for and reduce his contract demand upto 50% of the existing contract demand. The consumer may reduce his contract demand once more only after two years from the date the new contract demand becomes applicable, by a maximum of 50% of the contract demand as applicable on the date of application. The above reductions are subject to permissible minimum contract demand specified in clause 3.4. In case the consumer reduces the contract demand with the utility and sources power from another supplier he shall be liable to pay additional surcharge as provided in Section 42 (4) of the Electricity Act 2003 (36 of 2003).

7.13 In all existing agreements executed prior to this Code coming into effect, if there is any provision regarding restriction on reduction of Contract Demand, the same shall be deemed to have been modified to the extent of the provision made in this present Code.

7.14 When reduction of contract demand is agreed to, the consumer shall execute a supplementary agreement. The licensee shall recalculate the security deposit and any excess security deposit shall be adjusted in five equal instalments in five succeeding bills."

9. संविदा मांग में कमी हेतु जो प्रक्रियां मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में निर्धारित की गई है उसका अवलोकन करने से यह पाया जाता है कि उक्त प्रक्रियां में दो तरह के उपभोक्ताओं के संबंध में पृथक–पृथक प्रक्रियां निर्धारित की गई है । पहली प्रकार का उपभोक्ता ऐसा उपभोक्ता है जो अनुबंध प्रारंभ किए जाने की तिथि से प्रथम 6 माह के अन्दर अथवा संशोधित अधिसूचना की तिथि से 3 माह के अन्दर संविदा मांग में कमी कराना चाहता है, उसकी संविदा मांग में कमी 50 प्रतिशत तक की जा सकती है । दूसरी तरह का उपभोक्ता वह उपभोक्ता है जो संविदा मांग में कमी प्रारंभिक अनुबंध की समाप्ति के बाद कराना चाहता है और ऐसे उपभोक्ता की संविदा मांग में कमी मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अध्याय – 3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी हेतु न्यूनतम तक की जा सकती है । ऐसे उपभोक्ताओं के संबंध में प्रावधान संहिता की धारा 7.9 और 7.12 में पृथक–पृथक किए गए हैं ।

10. 7.9 में वर्णित उपभोक्ता की संविदा मांग में कमी 50 प्रतिशत तक की जा सकती है अर्थात् यदि उसकी प्रारंभिक संविदा मांग 1000 है तो अनुबंध प्रारंभ किए जाने की तिथि से प्रथम 6 माह के अन्दर आवेदन प्रस्तुत करने पर उसकी संविदा मांग 500 तक की जा सकती है । इसके विपरीत धारा 7.12 में वर्णित उपभोक्ता द्वारा अनुबंध की समाप्ति होने के बाद यदि संविदा मांग में कमी कराना चाहता है तो ऐसे उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी संहिता के अध्याय – 3 में विनिर्दिष्ट की गई न्यूनतम वोल्टेज श्रेणी तक की जा सकती है ।

11. संहिता की धारा 7.9 में जिस उपभोक्ता को परिभाषित किया गया है उस उपभोक्ता द्वारा यदि संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो उसके संबंध में प्रक्रियां धारा 7.10, 7.11 में दी गई है अर्थात् धारा 7.10 तथा 7.11 में निर्धारित प्रक्रियां उन्हीं उपभोक्ताओं के संबंध में लागू होगी जो धारा 7.9 में वर्णित उपभोक्ता की परिधि में आता है अर्थात् जिन उपभोक्ताओं द्वारा अनुबंध की अवधि समाप्त होने के बाद 50 प्रतिशत से अधिक भार में कमी किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया जाता है उनके संबंध में संहिता की धारा 7.12 में वर्णित प्रक्रियां प्रभावशील होगी ।

12. संहिता की धारा 7.14 में जो प्रक्रियां निर्धारित की गई है वह दोनों प्रकरण के उपभोक्ताओं अर्थात् 7.9 में तथा 7.12 में वर्णित उपभोक्ताओं पर समान रूप से लागू होगी अर्थात् जैसे ही संविदा मांग में कमी किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है अथवा मांगी गई अनुमति स्वीकार कर ली जाती है, दोनों स्थितियों में पूरक अनुबंध निष्पादित किया जाना आवश्यक होगा ।

13. विचाराधीन मामले में उपभोक्ता की आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय संविदा मांग 4800 केवीए थी, जिसमें उपभोक्ता ने 600 केवीए किए जाने का आवेदन किया था अर्थात् उपभोक्ता की न्यूनतम संविदा मांग 50 प्रतिशत से अधिक थी । ऐसी स्थिति में उपभोक्ता की संविदा मांग में कमी किए जाने के लिए संहिता

की धारा 7.12 में जो प्रक्रियां निर्धारित की गई है उस प्रक्रियां के अनुसरण में उसकी संविदा मांग में कमी किया जाना माना जाएगा ।

14. संहिता की धारा 7.12 में प्रयुक्त शब्द "Such request when made to Licensee shall come into effect from the date of completion of formalities such as execution of agreement etc." का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की ओर से संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन अनुबंध का निष्पादन पूर्ण किए जाने की तिथि से प्रभावशील होगा । इसी धारा अर्थात् 7.12 के प्रावधानों का अवलोकन करने से यह भी स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की ओर से संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन प्राप्त होने पर समस्त औपचारिकताओं को जिनमें अनुबंध का निष्पादन किया जाना भी अपेक्षित है, 30 दिवस के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए ।

15. विचाराधीन मामले में उपभोक्ता ने दिनांक 30.05.2013 को संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया था । अनावेदक विद्युत अनुज्ञप्तिधारी की ओर से 30 दिवस के अन्दर औपचारिकताओं को पूर्ण नहीं किया गया था तथा अनुबंध भी निष्पादित नहीं किया गया था । इसके विपरीत अनावेदकगण ने दिनांक 08.09.2013 को उपभोक्ता को इस आशय का पत्र प्रेषित किया था कि उसके आवेदन पत्र के आधार पर दिनांक 01.07.2013 से संविदा मांग में कमी किए जाने के प्रस्ताव को मान्य किया गया है, अतः वह एक माह के अन्दर अनुबंध निष्पादित किया जाना सुनिश्चित करें । उभय पक्ष के मध्य दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को पूरक अनुबंध निष्पादित किया गया था ।

16. उपभोक्ता के आवेदन के आधार पर उसकी संविदा मांग में कमी 01.07.213 से किए जाने का क्या आधार था तथा ऐसी संविदा मांग में कमी किए जाने की सूचना उपभोक्ता को कब तथा किस माध्यम से दी गई थी, के संबंध में अनावेदकगण से जानकारी प्राप्त किए जाने पर कार्यपालन अभियंता (संचा./संधा.) मप्रपूक्षेविविकलि., वारासिवनी ने अपने पत्र दिनांक 22.09.2014 के द्वारा उक्त दोनों बिन्दुओं के संबंध में निम्नलिखित जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार है :–

उक्त विषय एवं संदर्भान्तर्गत दो बिन्दुओं से संबंधित जानकारी नीचे लिखे अनुसार है :–

1) उपभोक्ता के आवेदन दिनांक 30.05.2013 के आधार पर उसकी संविदा मांग में कमी दिनांक 01.07.2013 से प्रदान की गई वह इसलिए कि विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के अनुसार आवेदक से प्राप्त आवेदन दिनांक से 30 दिवस के भीतर संविदा मांग में कमी की जाने का प्रावधान है । जिसका विस्तृत विवरण लिखित जवाब दिनांक 19.08.2014 को दिया जा चुका है ।

2) दिनांक 01.07.2013 से संविदा मांग में कमी करने की सूचना उपभोक्ता को मुख्य अभियंता (ज.क्षे.) जबलपुर के द्वारा पत्र क्रमांक 3867 दिनांक 08.08.2013 के माध्यम से डाक द्वारा भिजवाई

गई थी, जिसे आवेदक ने दिनांक 16.08.2013 को प्राप्त होना स्वीकारा है, जिसका विवरण आवेदक द्वारा प्रस्तुत रिट पिटीशन के पेज क्रमांक 6 के पैरा क्रमांक 4 पर उल्लेख है ।

17. अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत उक्त जानकारी के अनुसार विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक से 30 दिवस के भीतर संविदा मांग में कमी किए जाने का प्रावधान है, इसी कारण उसकी संविदा मांग में कमी दिनांक 01.07.2013 से प्रदान की गई थी तथा डाक के माध्यम से पत्र दिनांक 08.08.2013 के द्वारा उपभोक्ता को संविदा मांग में कमी किए जाने की जानकारी दी गई थी जो दिनांक 16.08.2013 को उपभोक्ता को प्राप्त हुई थी ।

18. अनावेदकगण की ओर से दी गई उक्त जानकारी में इस तथ्य का उल्लेख नहीं है कि विद्युत प्रदाय संहिता के किस विशिष्ट प्रावधान के अनुसार दिनांक 01.07.2013 से संविदा मांग में कमी किया जाना अनुज्ञात किया गया था ।

19. संविदा मांग में कमी हेतु मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में जो प्रावधान किया गया है उसमें दो तरह के उपभोक्ताओं की श्रेणीयां है, जो पहली श्रेणी का उपभोक्ता वह है जिसने अनुबंध प्रारंभ किए जाने की तिथि से 6 माह के अन्दर संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया है, ऐसे उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी 50 प्रतिशत तक सीमित की जा सकती है । ऐसे उपभोक्ता के लिए संहिता की धारा 7.9, 7.10, 7.11 में निर्धारित प्रक्रियां लागू होगी, परन्तु ऐसा उपभोक्ता जिसने प्रारंभिक अनुबंध की समाप्ति के बाद संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन किया है तथा संविदा मांग में कमी किए जाने का आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदित की गई मांग से 50 प्रतिशत से अधिक है उसके लिए धारा 7.12 में निर्धारित प्रक्रियां लागू होगी, अतः ऐसे उपभोक्ता के लिए संविदा मांग में कमी किए जाने के लिए संहिता की धारा 7.12 में वर्णित प्रक्रियां लागू नहीं होगी तथा ऐसे उपभोक्ता के लिए संविदा मांग में कमी उसी दिन से प्रभावशील होगी जिस दिन अनुबंध का निष्पादन किया जाता है ।

20. विचाराधीन मामले में संविदा मांग में कमी अनुबंध निष्पादित होने की दिनांक से प्रभावशील होना माना जाएगा, इस तथ्य का समर्थन अनावेदकगण की ओर से उपभोक्ता को प्रेषित पत्र क्रमांक 3867 जबलपुर दिनांक 08.08.2013 की अन्तर्वस्तु का अवलोकन करने से होता है । पत्र के तात्विक अंश इस प्रकार है :–

"This has reference to your application dated 30-05-2013. Your request for reduction in contract demand has been considered as aforesaid letter of CE (Comml) EZ Jabalpur dated 20.07.2013 and decided as under :-

A. *Reduction in contract demand from 4800 KVA to 600 KVA is approved w.e.f. 01.07.2013 ensuring that no two supply from different sources of the licensee is available in your premises.*

B. For the above purpose, you will be required to enter into a supplementary agreement within a period of one month from the date of convey of this letter, failing which aforesaid approval would stand withdrawn. Further, the effect of reduction in contract demand in billing will be given only after finalization of the supplementary agreement by this office.

C. You shall clear all out standing dues/liablilities if any, before execution of supplementary agreement for reduction in contract demand.

D. You shall produce a copy of notarized resolution for execution the agreement and affixing the common seal before execution of the suppl. agreement.

E. As per 17th amendment of supply code 2004, dated 25.06.2010 you shall produce a copy of test report in prescribed form along with registration number of contractor obtained from a competent licensed electrical contractor and shall be submitted before execution of the agreement.

F. Excess amount of SD if any consequent upon reduction in contract demand shall be adjusted against energy bills in three equal monthly installments.

G. If you seeks to avail startup power connection you would be required to terminate the existing HT agreement and apply a fresh for sanction of startup power.

2. The aforesaid reduction of CD is subject to the condition that in case you reduce the CD with the Board/Company and source power form other supplier, you shall be liable to pay additional surcharge as per provision in Section - 42 (4) of the Electricity Act 2003, and also depicted in supply code 2004. Further, if you come forwarded for enhancement of contract demand at this point of supply in future, you will be required to pay the charges, as per Board's/Company's rule prevailing at that time."

21. अनावेदकगण की ओर से उपभोक्ता को प्रेषित पत्र दिनांक 08.08.2013 जो उपभोक्ता को दिनांक 16.08.2013 को प्राप्त हुआ था, की कण्डिका – बी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता की संविदा मांग में कमी को दिनांक 01.07.2013 से स्वीकार किया गया है, परन्तु बिलिंग अर्थात् देयक के संबंध में संविदा मांग में कमी किए जाने का प्रावधान अनुबंध का निष्पादन किए जाने की दिनांक से ही प्रभावशील होना कहा गया था, इसीलिए उपभोक्ता को एक माह के पूरक अनुबंध निष्पादित किए जाने का निर्देश दिया गया था ।

22. अनावेदकगण की ओर से जारी पत्र दिनांक 08.08.2013 का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 7.9 तथा 7.12 के प्रावधानों को पृथक न करते हुए अनावेदक विद्युत अनुज्ञप्तिधारी की ओर से उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी उसके आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 1 माह के अन्दर स्वीकार की गई थी, परन्तु उपभोक्ता को जारी किए जाने वाले देयकों के संबंध

में यह प्रावधान कर दिया गया था कि संविदा मांग में कमी किए जाने का उक्त प्रावधान पूरक अनुबंध निष्पादित किए जाने की दिनांक से ही प्रभावशील होगा । इसका आशय स्पष्ट था कि जब तक उपभोक्ता द्वारा पूरक अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तब तक पूर्व में निष्पादित अनुबंध के प्रावधान प्रभावशील होंगे और उपभोक्ता को संविदा मांग 4800 केवीए के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम विद्युत का उपभोग करना आवश्यक होगा यदि उपभोक्ता द्वारा ऐसी मात्रा में विद्युत का उपयोग नहीं किया जाता है और वह 600 केवीए विद्युत का उपभोग ही करता है तब उस स्थिति में उपभोक्ता 4800 केवीए संविदा मांग के लिए निर्धारित न्यूनतम विद्युत का उपभोग न किए जाने पर उस पर दण्डात्मक बिलिंग की जा सकती है । अनावेदक द्वारा जारी पत्र दिनांक 08.08.2013 से स्पष्ट है कि जब तक पूरक अनुबंध का निष्पादन नहीं होता तब तक उपभोक्ता को जारी किए जाने वाले देयकों के प्रयोजन के लिए संविदा मांग में कमी किए जाने के प्रावधान 01.07.2013 से लागू नहीं होंगे अपितु उपभोक्ता संविदा मांग में कमी उसी दिनांक से करने के लिए प्राधिकृत होगा जब पूरक अनुबंध का निष्पादन किया जाता है ।

23. अनुबंध का निष्पादन होने के पूर्व तक उपभोक्ता को संविदा मांग में कमी किया जाना उपभोक्ता को जारी किए जाने वाले देयक के संबंध में प्रभावशील नहीं थे, इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि जुलाई तथा अगस्त महीनें में उपभोक्ता को जो देयक जारी किए गए थे उन देयकों में उपभोक्ता पर दाण्डिक बिलिंग नहीं की गई थी, यद्यपि उपभोक्ता द्वारा संविदा मांग 600 केवीए से अधिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया गया था । सितम्बर माह में उपभोग की गई विद्युत के लिए अक्टूबर महीनें में जो देयक जारी किया गया था उस देयक में दण्डात्मक बिलिंग की गई थी, क्योंकि सितम्बर माह में अनुबंध का निष्पादन पूर्ण कर लिया गया था ।

24. उपभोक्ता की ओर से यह तर्क किया गया है कि संविदा मांग में कमी किए जाने का अनुबंध जो कि दिनांक 16 सितम्बर, 2013 को निष्पादित किया गया था, को अन्तिम रूप दिए जाने तथा उसकी संविदा मांग में कमी किए जाने की लिखित सूचना अनावेदक की ओर से नहीं दी गई थी, इसी कारण उसने संविदा मांग में कमी नहीं की थी, ऐसी स्थिति में सितम्बर माह के लिए जारी देयक में उस पर जो दण्डात्मक बिलिंग की गई है, वह विधिसंगत नहीं है ।

25. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता की धारा 7.9 लगायत 7.12 जिनका विवेचन पूर्व में किया गया है, का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि उपभोक्ता का मामला धारा 7.12 की परिधि में आता है । उसका मामला 7.9 लगायत 7.11 की परिधि में नहीं आता है । किसी भी पक्षकार को विधि दोहरा लाभ उठाने की अनुमति प्रदान नहीं करता है । यदि उपभोक्ता का मामला धारा 7.9 की परिधि में आता उस स्थिति में उसकी संविदा मांग में कमी 50 प्रतिशत ही सीमित की जा सकती थी, परन्तु उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2004 के अध्याय – 3 में विनिर्दिष्ट की गई विशिष्ट वोल्टेज

श्रेणी हेतु न्यूनतम संविदा मांग तक कम की गई थी । अतः उपभोक्ता की संविदा मांग की कमी को उसी दिन से प्रभावशील होना माना जाएगा जिस दिन उसके अनुरोध को औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद अनुबंध निष्पादित किया गया है ।

26. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 7.12 के प्रावधानों के अनुसार उपभोक्ता का आवेदन प्राप्त होने पर 30 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर अनुबंध निष्पादित किया जाना आवश्यक है । इस मामलें में यद्यपि अनावेदक ने उपभोक्ता का आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर अनुबंध निष्पादित नहीं किया था, परन्तु संविदा मांग में कमी किए जाने के तथ्य की सूचना देने के बाद सितम्बर माह में अनुबंध निष्पादित किया गया था, जिसमें संविदा मांग में कमी दिनांक 01.07.2013 से किए जाने का उल्लेख किया गया था, इसका यही आशय प्रतीत होता है कि विधि के प्रावधानों पर समुचित विचार किए बिना भूतलक्ष्यी प्रभाव से संविदा मांग में कमी किए जाने के तथ्य का उल्लेख किया गया था, परन्तु ऐसी संविदा मांग में कमी भूतलक्ष्यी प्रभाव से नहीं की जा सकती थी, अतः संविदा मांग में कमी उसी तिथि से प्रभावशील होना माना जाएगा जिस दिन अनुबंध निष्पादित किया गया था ।

27. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अनुबंध निष्पादित होने के बाद संविदा मांग में कमी किए जाने की औपचारिकताएं पूर्ण की जाएगी अथवा अनुबंध निष्पादित होने के बाद उसके प्रभावशील होने की तिथि की जानकारी उपभोक्ता को दी जाएगी । संहिता की धारा 7.12 के प्रावधानों से स्पष्ट है कि जैसे ही अनुबंध निष्पादित होता है उसी तिथि से संविदा मांग की कमी प्रभावशील हो जाएगी ।

28. इस तथ्य के संबंध में उपभोक्ता ने अनावेदक को प्रेषित पत्र क्रमांक 1121 दिनांक 24.08.2013 की ओर ध्यान दिलाया है, जिसमें उसने अनावेदक से यह अनुरोध किया था कि उसके द्वारा जमा सुरक्षा निधि की राशि से 600 केवीए के लिए देय सुरक्षा निधि की राशि काटकर शेष राशि का समायोजन जुलाई – अगस्त 2013 के लिए जारी बिलों में समायोजित किया जाकर शेष राशि उसे वापस की जाए । उपभोक्ता की ओर से प्रेषित इस पत्र का जवाब 24.08.2013 को ही अनावेदक की ओर से उपभोक्ता को दिया गया था, जिसमें उपभोक्ता को सूचित किया गया था कि अनुबंध संपादित होने के बाद ही निर्धारित की एम.ई. स्थापित की जाएगी और इसके पश्चात ही सुरक्षा निधि के समायोजन की कार्यवाही की जाएगी । उपभोक्ता की ओर से प्रेषित उक्त पत्र तथा अनावेदक की ओर से प्रेषित जवाब दोनों का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष विधि के प्रावधानों के विपरीत कार्यवाही किए जाने की अपेक्षा कर रहे थे ।

29. मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षा निधि की संगणना उपभोक्ताओं से संबंधित प्रतिभूति निक्षेप को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 द्वारा

नियंत्रित किया जाएगा, अतः उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी के पश्चात सुरक्षा निधि की संगणना उक्त प्रावधानों के अनुसार किया जाना था । संहिता की धारा 7.12 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अनुबंध निष्पादित होने के बाद निर्धारित क्षमता की एम.ई. स्थापित करने के बाद ही संविदा मांग में कमी की जाएगी । सामान्यतः संविदा मांग में कमी किए जाने के बाद सुरक्षा निधि की संगणना प्रतिभूति निक्षेप, विनियम 2004 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है और इसका तत्कालिक संबंध संविदा मांग में कमी किए जाने से नहीं है । अतः उपभोक्ता की ओर से सुरक्षा निधि का समायोजन किए जाने तथा उस संबंध में अनावेदक द्वारा एम.ई. स्थापित करने के बाद सुरक्षा निधि का समायोजन किए जाने का जो तथ्य उल्लिखित किया गया था वह विधि के प्रावधानों के सर्वथा विपरीत किया जाना परिलक्षित होता है ।

30. उपभोक्ता की मांग पर सुरक्षा निधि का समायोजन नहीं किया गया था तथा उसका समायोजन निर्धारित क्षमता की एम.ई. स्थापित करने के बाद किया जाना कहा गया था, के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उपभोक्ता को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी कि अनुबंध निष्पादित होने के बाद उसकी संविदा मांग में कमी नहीं की गई है । विधि के प्रावधानों अर्थात् मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 7.12 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि संविदा मांग में कमी किए जाने की तिथि अनुबंध के निष्पादित होने की दिनांक से ही प्रभावशील हो जाएगी, अतः इस मामले में जिस दिन दोनों पक्षों के मध्य अनुबंध निष्पादित हुआ था उसी दिनांक से संविदा मांग में कमी किया जाना माना जाएगा ।

31. उभयपक्ष के मध्य संविदा 16.09.2013 को निष्पादित की गई थी । विद्युत ऊर्जा के खपत की संगणना प्रत्येक माह अन्तिम तारीख को की जाती है तथा उसके अगले माह देयक जारी किया जाता है । अनुबंध महीने की 16 तारीख को निष्पादित होने से यदि 15 तारीख तक संविदा मांग में कमी किया जाना न माना जाए और 16 तारीख से संविदा मांग में कमी किया जाना माना जाए तब उस स्थिति में देयक की संगणना करने में कठिनाई होगी, क्योंकि महीने की 15 तारीख तक उपभोक्ता ने कितनी मात्रा में विद्युत का उपयोग किया और 16 तारीख के बाद कितनी मात्रा में विद्युत का उपयोग किया यह कहना कठिन होगा । अतः अनुबंध भले ही 16 तारीख को निष्पादित किया गया था, इस मामले में संविदा मांग में कमी की तिथि देयक की संगणना के लिए अगले महीने की पहली तारीख से ही लागू किया जाना युक्ति–युक्त होगा । अतः जहां तक संविदा मांग में कमी किए जाने के बाद संविदा मांग से अधिक विद्युत ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता द्वारा किए जाने पर उस पर दण्डात्मक बिलिंग किए जाने का प्रश्न है उसकी प्रभावशीलता अक्टूबर माह की पहली तारीख से प्रभावशील किया जाना विधिसंगत होगा, अतः उभयपक्ष के मध्य संविदा मांग में कमी किए जाने का जो अनुबंध सितम्बर माह में निष्पादित किया गया था दण्डात्मक बिलिंग के लिए उक्त प्रावधान का प्रयोग अक्टूबर माह की पहली तारीख से प्रभावशील होगा और अक्टूबर, 2013 से

उपभोक्ता ने यदि संविदा मांग से अधिक विद्युत का उपयोग किया है तो इस संबंध में प्रभावशील नियमों के अनुसार उसे दण्डात्मक बिलिंग की वसूली की जा सकती है ।

: निष्कर्ष :

32. उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य साबित होता है कि उपभोक्ता की संविदा मांग में कमी अनुबंध निष्पादित होने की दिनांक 16.09.2013 से प्रभावशील होगी, परन्तु देयक की संगणना करने के लिए संविदा मांग में कमी का तथ्य अक्टूबर 2013 की पहली तारीख से मान्य होगा, अतः अक्टूबर 2013 के पूर्व अनावेदक विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता से विद्युत ऊर्जा के अतिरिक्त उपयोग हेतु दण्डात्मक बिलिंग किए जाने के लिए प्राधिकृत नहीं है । अतः उपभोक्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है । फोरम के प्रश्नगत आदेश को अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि उपभोक्ता के संविदा मांग में कमी देयक की संगणना हेतु अक्टूबर, 2013 से प्रभावशील की जाए तथा सुरक्षा निधि की संगणना अक्टूबर 2013 से उपभोक्ताओं से संबंधित प्रतिभूति निक्षेप को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 के प्रावधानों के अनुसार संगणित किया जावे तथा उपभोक्ता को नियमानुसार संशोधित देयक जारी किया जावे । यह आदेश दिया जाता है कि उपभोक्ता द्वारा यदि इस प्रयोजन हेतु अतिरिक्त राशि अदा की गई हो तो उसका समायोजन उपभोक्ता को जारी देयकों में किया जावे तथा सुरक्षा निधि भी नियमानुसार उपभोक्ता को वापस की जाए अथवा उसका समायोजन जारी किए जाने वाले देयकों में किया जावे ।

33. आदेश की प्रति के साथ फोरम का अभिलेख वापस हो । आदेश की निशुल्क प्रति पक्षकारों को दी जाए ।

विद्युत लोकपाल

प्रतिलिपि :

1. आवेदक की ओर प्रेषित ।
2. अनावेदक की ओर प्रेषित ।
3. फोरम की ओर प्रेषित ।

विद्युत लोकपाल